अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय, उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद संख्या– 27–34/2012

अपीलार्थी – पुष्पा देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

–: **आदेश** :–

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा पारित आदेश 1521–1 दिनांक 15.9.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है।

प्रश्नगत अपीलवाद में पहला आरोप यह है कि श्रीमती निवेदिता सेन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिषी द्वारा महिषी दक्षिणी पंचायत अन्तर्गत केन्द्र महपुरा केन्द्र संख्या 89 का जाँच दिनांक 20.01.2012 को 12:00 बजे पूर्वाह्न में किया गया। जाँच के क्रम में केन्द्र संचालन में निम्नलिखित त्रुटि पाई गई।

1. आँगनबाड़ी केन्द्र सेविका के घर में संचालित है। कई बार निर्देश के बावजूद केन्द्र स्थल परिवर्त्तन नहीं किया गया है।
2. निरीक्षण तिथि समय को सेविका न तो केन्द्र पर थी और न घर पर ही थी। सेविका को कई बार अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है।

गया कि सेविका खिचड़ी बनाने हेतु चावल, दाल, सब्जी दी है।

4. मात्र 4 बच्चे केन्द्र स्थल पर खेल रहे थे। एक भी पंजी सहायिका द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

दूसरा केन्द्र संचालन में दूसरा आरोप यह भी है कि पुनः दिनांक 05.03.2012 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में सी0डी0पी0ओ0 श्रीमती निवेदिता सेन महिषी द्वारा ही प्रश्नगत केन्द्र का दुसरी बार जाँच किया गया उक्त तिथि में भी सेविका द्वारा पिछले निरीक्षण में जो त्रुटि हुई थी उस निराकरण न करके पुनः केन्द्र संचालन में अनियमितता बरती गई जो निम्नवत है:–

1. आँगनबाड़ी सेविका कई दिनों से अनुपस्थित थी। अवकाश नहीं ली है।
2. पूर्व में भी कई बार सेविका को अनुपस्थित पाया गया है।
3. आँगनबाड़ी सहायिका घर के भीतर खाना बनाकर 10–12 बच्चों को ही बुलाकर पोषाहार खिला देती है। केन्द्र का संचालन नियमित रूप से नहीं होता है।
4. समय पर टी0एच0आर0 वितरण भी नहीं होता है।
5. मासिक बैठक, ग्रोथ चार्ट प्रशिक्षण एवं केयर आदि के बैठक में भी सेविका अनुपस्थित रहती है।

सी0डी0पी0ओ0 महिषी द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता/त्रुटि के संबंध में केन्द्र सं0– 89 के आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती पुष्पा देवी से कार्यालय ज्ञापांक 716–1 दिनांक 08.05.2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया जिसमें उन्हें 22.05.2012 को अपना पक्ष रखने हेतु निर्देश भी दिया गया आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा निर्धारित तिथि को अपना स्पष्टीकरण भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा को समर्पित किया गया अपने स्पष्टीकरण में सेविका श्रीमती पुष्पा देवी ने बतलाया कि निरीक्षण तिथि दिनांक 05.03.2012 को केन्द्र पर थी। सूचना मिली की महपुरा पुनर्वास की रहने वाली उनके केन्द्र के ही एक बच्ची की तबियत खराब हो गई है। मानवता के ख्याल से मैं उसे देखने चली गई। 10:30 बजे लौटने पर ज्ञात हुआ कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी केन्द्र पर आकर लौट गई है। यह महज संयोग था कि सी0डी0पी0ओ0 से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। गाँव या आस–पास के लोग संभवतः इर्ष्यावश मेरी कुछ समय के लिए अनुपस्थिति के लिए शिकायत दर्ज करा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह भी सच है कि बच्चों को पूरक पोषाहार आँगन (गीला राशन) रसोई घर में ही आँगन में बनता है और बाहर केन्द्र पर लाकर बच्चों को उसे खिलाया जाता है, चूँकि बच्चे छोटे–छोटे होते हैं अगर सहायिका का ध्यान थोड़ा भी ईधर–उधर होता है तो छोटे

बच्चे सारे सामग्री को ईधर–उधर छिटना, कच्चा अनाज चबाना,बरतन गिराना जलती लकड़ी से खेलना आदि बदमाशी कर बैठते है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए भोजन सामग्री दूर ही बनाई जाती है वे इस बात से सहमत नहीं है कि टी0एच0आर0 का वितरण सही नहीं होता है। यह.तो समय–समय पर होता है। मासिक बैठक प्रत्येक महीने के 25 तारीख को निर्धारित है। ईधर दो–तीन महीने से मासिक बैठक के तिथि में हेर–फेर हो गया हैं। जिसकी सूचना समय से नहीं मिल पाती है पिछला ग्रोथ चार्ट, प्रशिक्षण फॉर्म, खत्म हो जाने के कारण नहीं भरा जा सका।

सी0डी0पी0ओ0 महिषी द्वारा समर्पित उक्त दोनों जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि निरीक्षण तिथि 20.01.2012 एवं 05.03. 2012 को सेविका अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई है। उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है सी0डी0पी0ओ0 द्वारा निर्देश के बावजूद भी आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन अपने घर से करती है जो अत्यन्त ही गंभीर है केन्द्र का संचालन घर से नहीं किया जाना है स्पष्ट निर्देश है, केन्द्र पर कोई पंजी नहीं रखना भी विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन है सेविका द्वारा उपरोक्त अंकित स्पष्टीकरण के जबाव से असहमति प्रकट करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने विभागीय ज्ञापांक 1521–1/प्रो0 दिनांक 15.09.2012 द्वारा उनके चयन को चयनमुक्त किया गया।

उपरोक्त अंकित केन्द्र के अनियमितता एवं सेविका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का जबाव का गहन रूप से विवेचना किया गया। इस आलोक में अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष, साक्ष्य कागजात इस न्यायालय के समक्ष रखा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः सही नहीं प्रतीत होता है। यह बात सत्य है कि प्रश्नगत केन्द्र का सी0डी0पी0ओ0 महिषी द्वारा निरीक्षण किया गया। दुसरी निरीक्षण की तिथि 05.03.2012 को भी सेविका मौजूद थी 10:15 मिनट पर वह अपने केन्द्र के लाभुक एक बच्चे जिनकी तबियत खराब हो गई थी देखने चली गई इसी बीच सी0डी0पी0ओ0 निरीक्षण करने पहुँच गई। यह महज संयोग था कि निरीक्षी पदाधिकारी से उनकी भेट नहीं हुई इसका यह मतलब नहीं लगा लेना चाहिए कि सेविका अनाधिकृत अनुपस्थित है केन्द्र का संचालन सेविका लगभग 27 वर्षों से करती आ रही है। टी0एच0आर0 का वितरण भी निर्धारित तिथि को भी करती आ रही है, इसके पूर्व पोषक क्षेत्र के लाभुकों के कोई शिकायत नहीं हुआ लाभार्थी मुस्तैदी एवं कर्त्तव्य निष्ठा के साथ केन्द्रों का संचालन करती आ रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह बताया कि दिनांक 20.01.2012 को भी उसी केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिनमें

निम्न त्रुटियां पाई गई जो चयन मुक्ति आदेश के पत्र में अंकित है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा 20.01.2012 को निरीक्षण के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण की माँग नहीं किया गया किस प्रावधान के अन्तर्गत 20.01.2012 एवं 05.03.2012 को निरीक्षण का आधार बनाकर चयनमुक्त किया गया जो न्याय संगत नहीं है अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका काफी उम्रदराज महिला हो गई है महज कुछ वर्ष और सेवा करने लायक है अतः अपीलार्थी को जाने अंजाने में कोई गलती हो गई हो तो इसे माँफ करने की कृपा की जाय साथ ही अपील आवेदन को स्वीकार किया जाय।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता का पक्षों का खंडन करते हुए इस न्यायालय को बताया कि सी0डी0पी0ओ0 द्वारा निरीक्षण के क्रम में सेविका द्वारा केन्द्र संचालन में कई अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है जिसमें दिनांक प्रथम निरीक्षण तिथि 20.01.2012 को भी सेविका द्वारा अपने घर पर केन्द्र चलाने का आरोप तो है ही मात्र उस दिन भी 4 लाभुक बच्चे ही उपस्थित थे। वह केन्द्र पर थी भी नहीं पुनः दुसरी निरीक्षण तिथि दिनांक 05.03.2012 को भी केन्द्र पर नहीं मिली अगर यह भी माना जाय कि एक बच्ची की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे देखने घर पर गई थी, तो जानकारी मिलने पर सी0डी0पी0ओ0 से मिलकर वस्तु स्थिति की जानकारी तो दिया जा सकता था, जो उन्होंने नहीं किया जो उनकी अक्षमता उदासीनता को दर्शाता है। उस दिन भी सहायिका घर के भीतर ही आँगन में 10–12 बच्चों को बुलाकर पोषाहार बनाकर खिला देती है। विभागीय निर्देश के बावजूद भी केन्द्र अपने घर पर से चलाती है जो नियमतः सही नहीं है आँगनबाड़ी केन्द्र किसी भी सूरत में अपने घर से संचालित नहीं करने का निर्देश दिया गया है फिर भी वे आदेश की अवहेलना करती रही है जो गंभीर आरोप है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतः न्याय उचित है अतः इसे यथावत रखने का अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं पक्ष एवं विपक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता के बयान सुनने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची की यह ठीक है कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी द्वारा दिनांक 20.01.2012 एवं 05.03.2012 को दो तिथियों में केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें दिनांक 20.01.2012 को जो त्रुटि, मिली, अनियमितता केन्द्र संचालन में जो प्रलक्षित हुआ, उसे सेविका द्वारा दो ढ़ाई महीने के भीतर याँनी दुसरी जाँच तिथि 05.03.2012 के दूर करने की जरूरत थी। जिसका सेविका द्वारा कोई ध्यान नहीं रखा गया जब उन्हें यह निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में आँगनबाड़ी केन्द्र अपने घर से संचालन नहीं करना है तो फिर किस प्रकार अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशों

की अवहेलना करना वह उचित समझी यह तो उनके मनमाने पन एवं अनियमितता बरतने का सटीक प्रमाण है केन्द्र पर कभी निरीक्षण तिथि को 4 बच्चे तो कभी 10–12 बच्चे पोषाहार के लिए उनके आँगन में मौजूद थे वे भी बच्चे काफी उच्च श्रृंखल प्रवृति के थे तो उन्हें समझा बुझा कर उनके कियाकलाप में सुधार लाने की जरूरत थी, सेविका खुद स्वीकार करती हैं कि आँगन में खाना इसलिए बनवाती हूँ कि बच्चों द्वारा कच्चा अनाज चबाना, कभी खाद्य सामग्री छीटना कभी अनाज कच्चा चबाना, जलती लकड़ी से खेलना, बरतन गिराना बच्चों द्वारा करने के कारण घर के आँगन में खाना बनाती हूँ जो उनकी कमी एवं शिथिलता को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त सारे विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सेविका श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करना केन्द्र अपने घर पर रखकर संचालित करना निरीक्षण दोनों तिथियों को लाभुक बच्चों की संख्या बिना प्रर्याप्त कारण के 4 से 12 के बीच में रहना, अनाधिकृत केन्द्र के अनुपस्थिति उनकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्ररिलक्षित करता है। यहाँ विभागीय मार्गदर्शिका 2120 दिनांक 20.6.2012 के के कंडिका A: 1(2) के तहत कार्रवाई की जरूरत है। अतः निम्न न्यायालय सहरसा का आदेश ज्ञापांक 1521–1 दिनांक 15.09.2012 न्यायोचित एवं सही प्रतीत होता है। अतः इसे यथावत बनाए रखने की जरूरत है। इस में किसी भी प्रकार की राहत की आवश्यकता नहीं है।

लेखापित एवं संशोधित

6.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा

6.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा